भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2752

19 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए नियत

उद्योग 4.0 योजना के लिए बजट

2752. श्री मोहनभाई कुंडारिया:
श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़:
श्रीमती रंजीता कोली:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के लिए निर्दिष्ट वित्तपोषण पर विशेष जोर देते हुए मंत्रालय के लिए बजट आबंटन का ब्यौरा/सारांश क्या हैं;

(ख) इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, उद्योग 4.0 से संबंधित पहलों और पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को बढाने के उद्देश्य हेतु कार्यक्रमों को सुकर बनाने के लिए बजट का कितना हिस्सा निर्धारित किया गया है;

(ग) विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए बजट का किस प्रकार उपयोग किया गया है; और

(घ) निर्धारित निधि से किए गए व्यय और प्राप्त परिणामों का व्यापक ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) : वर्ष 2023-24 के लिए भारी उद्योग मंत्रालय को किये गये बजट आवंटन का सार अनुलग्नक में है।

(ख) : भारी उद्योग मंत्रालय ने कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण चरण-II (फ़ेम इंडिया चरण-II) स्कीम तैयार की। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इस स्कीम के तहत 5171.97 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

भारी उद्योग मंत्रालय उद्योग विनिर्माण क्षेत्र में 4.0 के अंगीकरण और निवेश को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकियों के स्वदेशीकरण और साझा सेवा अवसंरचना/परीक्षण सुविधाओं के सृजन/संवर्धन को सुकर बनाने के लिए भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि, चरण-II

स्कीम भी कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(ग) : फ़ेम इंडिया चरण-II स्कीम में सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि, चरण-II प्रौद्योगिकियों के स्वदेशीकरण और साझा सेवा अवसंरचना/परीक्षण सुविधाओं के सृजन/संवर्धन पर केंद्रित है।

बजट के एक निर्दिष्ट हिस्से का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन और उन्नत प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता सृजन और समर्थन के लिए किया जाता है।

(घ) : 01.12.2023 की स्थिति के अनुसार, फ़ेम इंडिया चरण-II स्कीम के तहत 11,53,079 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं को 5228 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। कुल 148 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) चालू किए गए हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने देश भर में 7432 सार्वजनिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) - इंडियन ऑयल (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) को फ़ेम-II के तहत 800 करोड़ रुपये की मंजूरी देने की घोषणा 28.3.2023 को की है। इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न शहरों/राज्य परिवहन उपक्रमों/राज्य सरकार की संस्थाओं को अंतःशहरी प्रचालन के लिए 6862 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी है। अद्यतन स्थिति के अनुसार, इन 6862 ई-बसों में से 3491 ई-बसों की आपूर्ति राज्य परिवहन उपक्रमों को की जा चुकी है।

'भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि, चरण-II' स्कीम के तहत अब तक कुल 326.14 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। परियोजना कार्यान्वयन संगठनों द्वारा इस राशि का उपयोग पूंजीगत वस्तु और ऑटोमोटिव क्षेत्र से संबंधित उत्कृष्ट प्रौद्योगिकियों के विकास, साझा इंजीनियरिंग सुविधा केंद्रों की स्थापना, मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन सुविधाओं के संवर्धन और कौशल स्तर-6 तथा उससे ऊपर के लिए अर्हता पैक के विकास के लिए किया जा रहा है।

***

अनुलग्नक

मांग संख्या 48 - भारी उद्योग मंत्रालय
वर्ष 2023-24 के लिए स्कीम-वार आबंटन

(करोड़ रुपये में)

स्कीमें/मदें	**बजट अनुमान 2023-24**
केंद्र का स्थापना व्यय	
सचिवालय आर्थिक सेवा (वेतन)	39.02 (14.80)
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	
ऑटोमोबिल उद्योग का विकास	
भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहन का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम के लिए अनुदान	5171.97
ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम	604.00
'राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम' स्कीम के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन	1.00
कुल--ऑटोमोबिल उद्योग का विकास	**5815.99**
पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का विकास	
पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि स्कीम	250.00
कुल--पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का विकास	**250.00**
कुल--केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**6065.99**
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	
स्वायत्त निकाय	
केंद्रीय विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई) को अनुदान	24.00
सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम	
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को सहायता	
हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) को अनुदान	2.00
बीपीसीएल को अनुदान	55.32
नेपा लिमिटेड को ऋण	0.01
एसआईएल को ऋण	24.12
अन्य	0.19
कुल--केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को सहायता	**81.64**
कुल--केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	**105.64**
सकल योग	**6171.63**